


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936

No. 2507]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3105(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ दसवां संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, —

(1) प्रथम अनुसूची में, —

(क) "1. कृषि मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित उप-शीर्षकों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय";

(ख) "15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(ii) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग " उप-शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ग) "33. कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: —

"33. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय"; और

(घ) "41क. महिला और बाल विकास मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

"42. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

- (i) युवक कार्यक्रम विभाग
- (ii) खेल विभाग"।

(2) द्वितीय अनुसूची में, —

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : —

"आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

I. **संघ कारबार**

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना।
2. विकास और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए केन्द्रीय स्कीमें और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी हैं।
3. अनुसंधान और विकास का समन्वय और संवर्धन, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के लिए सहायता भी है।
4. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति से संबंधित अनुसंधान और विकास, शिक्षा और मानकों के लिए केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
5. निम्नलिखित के संबंध में सभी मुद्दे और विषय, जिनकी बाबत सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है:
 - (क) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ख) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
 - (ग) भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद;
 - (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद;
 - (ङ) आयुर्वेदिक भेषज समिति;
 - (च) होम्योपैथी भेषज समिति;
 - (छ) यूनानी भेषज समिति;
 - (ज) सिद्ध भेषज समिति;
 - (झ) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड;
 - (ञ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद;
 - (ट) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद;
 - (ठ) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद;
 - (ड) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद;
 - (ढ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान;
 - (ण) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान;
 - (त) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान;
 - (थ) राष्ट्रीय योग संस्थान;
 - (द) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान;

- (ध) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान;
- (न) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय;
- (प) इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड;
- (फ) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है।
7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों, जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के केन्द्रीय अस्पताल के डाक्टर भी हैं, के संबंध में काडर संरचना और नियंत्रण के मामले, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, भर्ती, प्रोन्नति और सभी अन्य सेवा मामले भी हैं, जिनकी बाबत सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है।
- टिप्पणी.**— दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और प्रबंध, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के निदेशक के पास ही रहेगा।
8. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क।
9. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियों/संगमों और पूर्त तथा धार्मिक विन्यासों से संबंधित मामले।
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में औषध की क्वालिटी और मानकों से संबंधित ऐसे मामलों की बाबत उस सीमा तक जिनमें ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है।
11. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कार्य और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं से परामर्श तथा समन्वय करना।
12. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़े।
13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव और मामले जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है।
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित प्रत्येक राज्य के विधायी प्रस्ताव जिनकी बाबत भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है।
15. औषधीय पादप बोर्ड।";
- (ख) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग" उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ग) "कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- "कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**
1. उपयुक्त कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय, विद्यमान नौकरियों के लिए ही नहीं अपितु आगे सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, नई दक्षता बनाने, नवाचारी सोच और प्रतिभाओं की मार्फत कुशल जनशक्ति में मांग और पूर्ति के बीच अंतर को हटाना।

2. विद्यमान कौशलों की मैपिंग और उनका प्रमाणीकरण ।
 3. शैक्षिक संस्थाओं, व्यापारिक और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ भागीदारी स्थापित करके युवक उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार और इसके लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना ।
 4. कौशल विकास संबंधी समन्वय की भूमिका ।
 5. बाजार संबंधी अनुसंधान करना तथा महत्वपूर्ण सेक्टरों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना ।
 6. उद्योग-संस्थान संपर्क ।
 7. इस क्रियाकलाप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का घटक लाना – कुशल जनशक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग के साथ भागीदारी ।
 8. बाजार की अपेक्षाओं तथा कौशल विकास के संबंध में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए व्यापक नीतियां बनाना ।
 9. सॉफ्ट स्किल्स के लिए नीतियां बनाना ।
 10. कंप्यूटर शिक्षा ।
 11. कौशल समुच्चयों के अकादमिक समकक्ष ।
 12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों संबंधी कार्य ।
 13. (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ।
(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ।
(iii) राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास ।"; और
- (घ) "महिला और बाल विकास मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —
- "युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**
- क. युवक कार्यक्रम विभाग**
1. युवा कार्य/युवा नीति ।
 2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन ।
 3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम ।
 4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ।
 5. ग्रामीण युवा और क्रीडा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम ।
 6. राष्ट्रीय युवा आयोग ।
 7. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
 8. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।
 9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।

10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
11. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प और अन्य संबंधित मामले ।
12. ब्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड ।
13. युवा हॉस्टल ।
14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
15. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।
16. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान।

ख. खेल विभाग

1. क्रीडा नीति ।
2. क्रीडा और खेल ।
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान ।
5. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ।
6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिषद से संबंधित मामले ।
7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना ।
8. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी है ।
9. क्रीडा छात्रवृत्तियां ।
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।
11. क्रीडा अवसंरचना, जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर और अन्य संबंधित विषयों के लिए वित्तीय सहायता ।
13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित क्रीडा मामले ।
14. शारीरिक शिक्षा ।"

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/35/2014-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2014

S.O. 3105(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Tenth Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in THE FIRST SCHEDULE,-

- (a) after the heading “1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)” and sub-headings thereto, the following heading shall be inserted, namely:-
- “2. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Mantralaya);”
- (b) under the heading “15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)”, the sub-heading “(ii) Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Vibhag),” shall be omitted;
- (c) for the heading “33. Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs and Sports (Kaushal Vikas, Udyamshilta, Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)” and sub-headings thereto, the following heading shall be substituted, namely,-
- “33. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (Kaushal Vikas aur Udyamshilta Mantralaya);” and
- (d) after the heading “41A. Ministry of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Mantralaya)”, the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-
- “42. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)
- (i) Department of Youth Affairs (Yuvak Karyakram Vibhag)
- (ii) Department of Sports (Khel Vibhag)”.

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

- (a) after the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)” and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:-
- “MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (AYURVEDA, YOGA AUR PRAKRATIK CHIKITSA, UNANI, SIDDHA AUR HOMOEOPATHY (AYUSH) MANTRALAYA)
- I. UNION BUSINESS
1. Formulation of policy and policy issues for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
 2. Development and implementation of programmes including Central schemes and Centrally sponsored schemes for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
 3. Co-ordination and promotion of research and development including assistance therefor in Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
 4. Setting up and maintenance of Central institutions for research and development, education and standards relating to Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
 5. All issues and matters requiring action at the level of Government in regard to-
 - (a) Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad;
 - (b) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad;
 - (c) Central Council of Indian Medicines;
 - (d) Central Council of Homoeopathy;
 - (e) Ayurvedic Pharmacopoeia Committee;
 - (f) Homoeopathic Pharmacopoeia Committee;
 - (g) Unani Pharmacopoeia Committee;

- (h) Siddha Pharmacopoeia Committee;
 - (i) Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board;
 - (j) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha;
 - (k) Central Council for Research in Homoeopathy;
 - (l) Central Council for Research in Unani Medicine;
 - (m) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy;
 - (n) National Institute of Ayurveda;
 - (o) National Institute of Homoeopathy;
 - (p) National Institute of Naturopathy;
 - (q) National Institute of Yoga;
 - (r) National Institute of Unani Medicine;
 - (s) National Institute of Siddha;
 - (t) Institute of Post-Graduate Teaching and Research, Gujarat Ayurveda University;
 - (u) Indian Medicines and Pharmaceuticals Corporation Limited;
 - (v) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth.
6. Education, Training and Research in all aspects of Indian Systems of Medicine including higher training abroad.
 7. Matters of cadre formation and control including formation and amendment of recruitment rules, recruitment, promotion and all other service matters relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy doctors of Central Government Health Scheme including doctors in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy central hospitals requiring action at Government level.
Note.- Day-to-day administration and management will continue to be with the Director, Central Government Health Scheme.
 8. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
 9. Matters relating to scientific societies/associations and charitable and religious endowments relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
 10. Matters relating to quality and standards for drugs in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy to the extent such matters require action at the level of Government.
 11. Consultation and coordination with State Governments, Non-Government Organisations and institutions for review of work and programmes in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
 12. Statistics relating to various aspects of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
 13. Proposals and matters concerning Union Territories requiring sanction and concurrence of Government of India in regard to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
 14. Legislative proposals pertaining to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy of individual states requiring sanction and concurrence of Government of India.
 15. Medicinal Plant Board.”;
 - (b) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”, the sub-heading “B. DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (AYURVEDA, YOGA AUR PRAKRATIK CHIKITSA, UNANI, SIDDHA AUR HOMOEOPATHY (AYUSH) VIBHAG)” and entries relating thereto, shall be omitted;

- (c) for the heading “MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT, ENTREPRENEURSHIP, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (KAUSHAL VIKAS, UDYAMSHILTA, YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)” and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

“MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
(KAUSHAL VIKAS AUR UDYAMSHILTA MANTRALAYA)

1. Coordination with all concerned for evolving an appropriate skill development framework, removal of disconnect between the demand for and supply of skilled manpower through vocational and technical training, skill up-gradation, building of new skills, innovative thinking and talents not only for the existing jobs but also the jobs that are to be created.
 2. Mapping of existing skills and their certification.
 3. Expansion of youth entrepreneurship education and capacity through forging strong partnership between educational institutions, business and other community organisations and set national standards for it.
 4. Role of coordination relating to skill development.
 5. Doing market research and devising training curriculum in important sectors.
 6. Industry-Institute linkage.
 7. Bringing Public Private Partnership element in this activity - partnership with the industry who need the skilled manpower.
 8. Making broad policies for all other Ministries/Departments with regard to market requirements and skill development.
 9. To frame policies for soft skills.
 10. Computer Education.
 11. Academic equivalence of skill sets.
 12. Work relating to Industrial Training Institutes.
 13. (i) National Skill Development Corporation.
(ii) National Skill Development Agency.
(iii) National Skill Development Trust. ”; and
- (d) after the heading “MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS MANTRALAYA)” and entries relating thereto, the following heading, sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

“MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)

- A. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS (YUVAK KARYAKRAM VIBHAG)
1. Youth Affairs/ Youth Policy.
 2. Nehru Yuva Kendra Sangathan.
 3. National Reconstruction Corps Scheme.
 4. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.
 5. Scheme for assistance to Rural Youth and Sports Clubs.
 6. National Commission for Youth.
 7. National Service Scheme.
 8. Voluntary Youth Organisations including financial assistance to them.
 9. National Service Volunteer Scheme.

10. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
11. Youth welfare activities, youth festivals, work camp and other related matters.
12. Boy-scouts and girl-guides.
13. Youth Hostels.
14. National Youth Awards.
15. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
16. Exchange of Youth Delegation with foreign countries.
- B. DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)
 1. Sports Policy.
 2. Sports and Games.
 3. National Welfare Fund for Sportsmen.
 4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
 5. Sports Authority of India.
 6. Matters relating to the Indian Olympic Association and national sports federations.
 7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
 8. National Sports Awards including Arjuna Awards.
 9. Sports Scholarships.
 10. Exchange of Sports persons, experts and teams with foreign countries.
 11. Sports infrastructure including financial assistance for creation and development of such infrastructure.
 12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment and other related matters.
 13. Sports matters relating to Union Territories.
 14. Physical Education.” .

PRANAB MUKHERJEE
PRESIDENT

[F. No. 1/21/35/2014-Cab.]
SANJUKTA RAY, Director